प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बुधवार को वीसी के जरिये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना किया। जयपुर जंक्शन पर आयोजित समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरी झण्डी दिखाई।

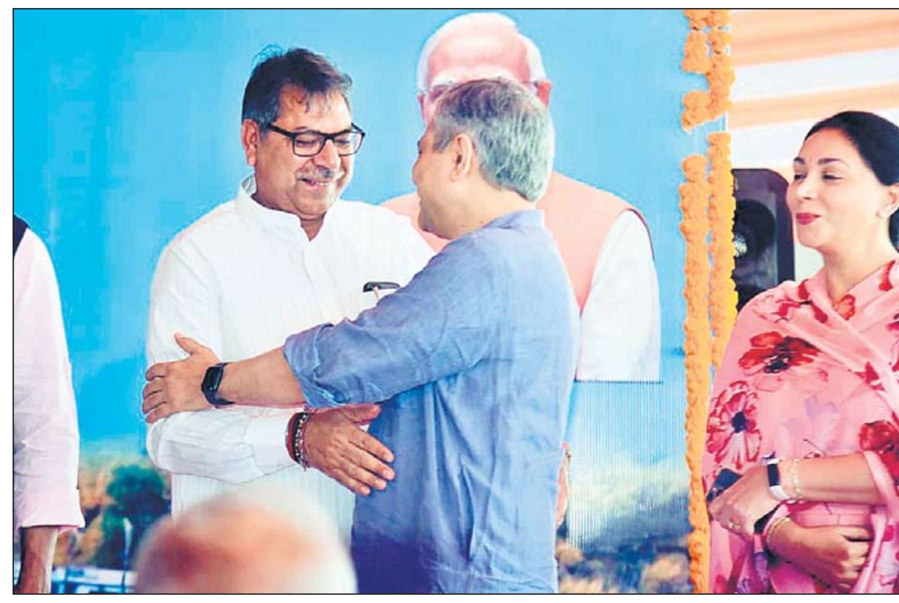

प्रदेश को पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का गले लगाकर भाजपा के उप नेता प्रतिपक्ष डॉ.सतीश पूनिया ने अभिनंदन किया। इस मौके पर राजसमंद सांसद दीया कुमारी भी मौजूद थीं।

जयपुर (का.सं.)) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का आज उद्घाटन किया। मोदी ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर इसे जयपुर रेलवे स्टेशन से रवाना किया। प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना करने के अवसर पर जयपुर जंक्शन पर आयोजित समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सम्मिलित हुए। इस मौके जयपुर जंक्शन से वंदे भारत एक्सप्रेस को मिश्र, गहलोत और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरी झण्डी दिखाई।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा कि अशोक गहलोत सियासी संकट से गुजर रहे हैं। इसके बावजूद समय निकालकर ये यहां विकास के काम में पहुंचे हैं, इसलिये उनका विशेष रूप से आभारी हूं, उनका स्वागत करता हूं। मोदी यहीं नहीं थमे, उन्होंने गहलोत के दोनों हाथों में लड्डू होने की बात कही। फिर कहा कि आपके रेलमंत्री और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन दोनो राजस्थान के हैं। गहलोत को मुझ पर बहुत भरोसा है इसलिये 70 साल के कामों को मेरे भरोसे छोड़ दिया।

उन्होंने कहा "बीते दो महीनों में ये छठी वंदेभारत एक्सप्रेस है जिसे हरी झंडी दिखाने का मुझे सौभाग्य मिला है। तेज रफ्तार वंदे भारत की सबसे बड़ी विशेषता है, कि यह लोगों का समय बचा रही हैं। और एक स्टडी है कि एक वंदे भारत की यात्रा करने पर लोगों के कुल मिलाकर, हर ट्रिप में करीब-करीब ढाई हजार घंटे बचते हैं।

कार्यक्रम के बाद मिश्र ने राजस्थान को पहली वंदे भारत ट्रेन मिलने को सराहनीय पहल बताते हुए कहा कि भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में किए जा रहे दूरगामी कार्यों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं।

कार्यक्रम में संबोधित करते हुये विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने राजस्थान में रेलवे की मजबूती को लेकर तेजी के साथ किये जा रहे विकास कार्यों के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव का राजस्थान प्रदेश की जनता की तरफ से आभार-अभिनंदन व्यक्त किया। इस अवसर पर डॉ.पूनियां और अश्विनी वैष्णव ने गले लगकर वंदे भारत ट्रेन की राजस्थान में शुरूआत के लिये एक-दूसरे को बधाई दी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार-अभिनंदन व्यक्त किया। डॉ. पूनियां ने कहा कि, अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में क्रांति का सूत्रपात किया है, इन्हें धन्यवाद देता हूं कि अपनी ससुराल जयपुर को वंदे भारत की सौगात दी है।

इस अवसर पर जयपुर रेलवे स्टेशन कर आयोजित कार्यक्रम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने संबोधित किया। इस अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र, नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष डा सतीश पूनियां, सांसद रामचरण बोहरा, सांसद दीया कुमारी एवं विधायक अशोक लाहौटी आदि मौजूद थे।

दुष्कर्म के अभियुक्त को बीस साल की सजा

- जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करें डी.जी.पी. : अदालत

जयपुर, (का.सं.)। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त रंगलाल उर्फ मुकेश को बीस साल की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं अदालत ने प्रकरण में सह आरोपियों के खिलाफ जांच पूरी नहीं करने पर डीजीपी को जांच अधिकारी पर कार्रवाई करने को कहा है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रकरण में अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच लंबित है, लेकिन जांच रिपोर्ट अब तक अदालत में पेश नहीं की गई। जबकि अभियुक्त के खिलाफ प्रकरण का निस्तारण किया जा रहा है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि 17 सितंबर 2021 को पीड़िता के पिता ने जमवारामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि अभियुक्त रंगलाल व उसके साथी दिनेश, रिंकू, हंसराज, सागर वर्धन और शंकर माली उसकी नाबालिग बेटी को परेशान करते हैं। आज उसकी बेटी के स्कूल जाने के दौरान आरोपियों ने उसे पकड़ लिया और छेडछाड़ करते हुए मोटर साइकिल पर जबरन ले जाने लगे। इस दौरान उसके चिल्लाने पर राहगीरों ने आरोपियों को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। सुनवाई के दौरान पीडिता ने अदालत को बताया कि घटना से पहले अगस्त माह में रात के समय रंगलाल ने उसे फोन कर बाहर बुलाया और सुनसान इलाके में ले जाकर दुष्कर्म किया था। इसके बाद घटना के दिन तक रंगलाल ने उसके साथ दो बार और बलात्कार किया व घटना की जानकारी देने पर भाई और पिता को जान से मारने की धमकी दी। वहीं बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि वह दिव्यांग है और लकड़ी के सहारे चलता है। पीड़ित पक्ष ने अन्य आरोपियों से राजीनामा कर उसे फंसा दिया। इसके अलावा एफएसएल व डीएनए रिपोर्ट में उसके खिलाफ नहीं है। ऐसे में उसे बरी किया जाए। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाते हुए जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है।

डॉ. पूनियां ने कक्षा कक्ष व शौचालय का उद्घाटन किया

जयपुर। विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने आमेर विधानसभा क्षेत्र के आमेर शहर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय (कुंडा) में नवनिर्मित 6 कक्षा कक्ष एवं शौचालय सुविधाओं का उद्घाटन किया।

यह नवनिर्मित 6 कक्षा कक्ष एवं शौचालय सुविधाओं का विकास कार्य राउण्ड टेबल संस्था के सहयोग से संपन्न हुआ है। डॉ. पूनियां ने संबोधित करते हुये कहा कि, आमेर विधानसभा क्षेत्र हर सेक्टर में तरक्की कर रहा है और मेरा लक्ष्य है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, रोजगार, पर्यटन इत्यादि सभी सेक्टर्स में आमेर विकास का आधुनिक मॉडल बनकर पूरे प्रदेश के लिये प्रेरणा बने, इसी प्रतिबद्धता के साथ विकास कार्य किये जा रहे हैं।

विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की मजबूती हमारी प्राथमिकता है, जिसके लिये विधायक कोष, भामाशाहों व सीएसआर के सहयोग से आमेर विधानसभा क्षेत्र के तमाम राजकीय विद्यालयों में सुसज्जित भवन, क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, खेल मैदान, खेल सामग्री, ई-लाइब्रेरी, शौचालय सुविधा इत्यादि विकास कार्य करवाये गये हैं।

वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं की मजबूती के लिये आमेर सेटेलाइट अस्पताल को आधुनिक एम्बुलेंस, जालसू आदर्श सीएचसी को आधुनिक एम्बुलेंस एवं जरूरी स्वास्थ्य उपकरण इत्यादि सुविधाओं का विस्तार करने के साथ ही विभिन्न पीएसची में भी स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूती प्रदान की गई है, जिससे आमजन को काफी राहत मिल रही है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, कुंडा में आयोजित उदघाटन कार्यक्रम में सतीश पूनियां, राउण्ड टेबल इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट मनीष लाखोटिया, चेयरपर्सन मनोज भंसाली, सेक्रेटरी निहार गुप्ता, प्रिंसिपल डॉ. ओमश्री राठौड़, प्रधानाध्यापक दिनेश चंद मीणा, निवर्तमान प्रधानाध्यापक नारायणलाल सैनी सहित विद्यार्थी, स्कूल स्टाफ एवं स्थानीय आमजन उपस्थित रहे।

हाई कोर्ट ने पृथ्वीराज नगर में बिजली कनैक्शन पॉलिसी पर सरकार से जवाब तलब किया

राजस्थान हाई कोर्ट ने पृथ्वीराज नगर सोसायटी पट्टों पर बिजली कनैक्शन नहीं देने के मामले पर सरकार से पूछा

- राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि, क्या पृथ्वीराज नगर योजना और कच्ची बस्ती में बिजली कनैक्शन देने की सरकार की नीति व जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की नीति अलग-अलग है।

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर की पृथ्वीराज नगर योजना में सोसायटी पट्टों पर बिजली कनैक्शन नहीं देने से जुड़े मामले में राज्य सरकार से पूछा है कि, क्या पी.आर.एन. व कच्ची बस्ती में बिजली कनैक्शन देने के लिए उनकी व जे.वी.वी.एन.एल. की पॉलिसी अलग है। इसके साथ ही अदालत ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी की उस मीटिंग के मिनट्स भी पेश करने को कहा है, जिसमें पी.आर.एन. में सोसायटी पट्टों पर बिजली कनैक्शन देने से मना किया गया था। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की याचिका पर दिए।

सुनवाई के दौरान अदालती आदेश के पालना में जे.वी.वी.एन.एल. के एम.डी. वीसी के जरिए पेश हुए। अदालत ने उनसे पूछा कि क्या वे पी.आर.एन. में बिजली कनैक्शन देने के लिए अधिकृत हैं या नहीं। जिस पर एम.डी. ने कहा कि कच्ची बस्ती वाले भी हमसे बिजली कनैक्शन मांगते हैं तो जनसंख्या को देखते हुए उन्हें कनैक्शन दिए जाते हैं, लेकिन पी.आर.एन. में कनैक्शन के लिए सरकार ने मना कर रखा है। इस पर अदालत ने उनसे पूछा कि, किस आदेश से मना किया गया है। इस पर एम.डी. ने कहा कि पूर्व में सीएस की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी और उसमें ही पी.आर.एन. में सोसायटी पट्टों पर कनैक्शन नहीं देने का निर्णय हुआ था। इस दौरान जे.डी.ए. के अधिवक्ता पुनीत सिंघवी ने कहा कि यदि सोसायटी पट्टों पर बिजली कनैक्शन दिए गए तो पी.आर.एन. में विकास नहीं हो पाएगा। दूसरी ओर जे.वी.वी.एन.एल. के अधिवक्ता ने कहा कि यदि निर्माण अवैध है तो उसे तोड़ा क्यों नहीं गया। वहीं राज्य सरकार के ए.ए.जी. आर.पी. सिंह ने कहा कि, सोसायटी पट्टों पर बिजली कनैक्शन दे दिए तो कोई जे.डी.ए. से पट्टे नहीं लेगा और इससे राजस्व का नुकसान होगा। अदालत ने सभी पक्षों को सुनकर मामले की सुनवाई 15 मई तय करते हुए राज्य सरकार को बिजली कनैक्शन देने की पॉलिसी व पी.आर.एन. में कनैक्शन नहीं देने के मिनट्स पेश करने के आदेश दिए। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने बताया कि, पिछली सुनवाई पर अदालत ने राज्य सरकार से पूछा था कि पी.आर.एन. में सोसायटी पट्टों पर बिजली कनैक्शन देने या नहीं देने के संबंध में उनकी क्या मंशा है, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं देने पर अदालत ने जे.वी.वी.एन.एल. के एम.डी. को हाजिर होने के लिए कहा था। याचिकाओं में कहा गया है कि राजस्थान बिजली एक्ट की धारा 43 के तहत याचिकाकर्ताओं को बिजली कनैक्शन दिया जाए और यह उनका अधिकार है व इसे रोका नहीं जा सकता। पी.आर.एन. में पूर्व में सोसायटी पट्टों पर बिजली कनैक्शन दिए हैं, इसलिए उन्हें भी कनैक्शन दिए जाए।

म्यूजिकल कंसर्ट में थिरकेंगे लोग

जयपुर (कासं)। आगामी रविवार की शाम एनआरआई क्लब-21 के आवेदकों के लिए सुरमई होने वाली है। 16 अप्रेल को शाम 7 बजे बॉलीवुड के मशहूर मीत ब्रदर्स की जोडी और सिंगर खुशबू ग्रेवाल जयपुर के प्रतापनगर स्थित एनआरआई कॉलोनी में म्यूजिकल कंसर्ट में दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देंगे।

आवासन आयुक्त और एनआरआई क्लब-21 के अध्यक्ष पवन अरोड़ा ने बताया कि इस म्यूजिकल कंसर्ट का लुत्फ क्लब की सदस्यता के लिए आवेदन कर चुके और आवेदन करने वाले आवेदक ही उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि आवेदक क्लब परिसर से 12 से 15 मार्च तक प्रातः 10 बजे से सायं 7 बजे के बीच निशुल्क पास प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि क्लब के आवेदकों के लिए कंसर्ट के साथ गाला डिनर की व्यवस्था भी की गई है। अरोड़ा ने बताया कि कंसर्ट की थीम टाइ योर लेसेस, टू टैप योर स्टेप्स ऑन डांस फ्लोर रखी गई है। उन्होंने बताया कि अन्तरराष्ट्रीय मापदंडों के आधार पर विकसित होने वाले क्लब हाउस में 25 कमरे बनाए जाएंगे, जहां स्पॉर्टस सुविधाओं के साथ, बार, ऑल वेदर स्विमिंग पूल और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि निजी सहभागिता के आधार पर ही यहां साजसज्जा, फर्नीचर्स सहित जरूरी सुविधाएं विकसित कर क्लब-21 को विकसित किया जाएगा।

जयपुर बम ब्लास्ट में सरकार की ओर से कमजोर पैरवी का विरोध

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जयपुर में 2008 में हुए बम ब्लास्ट में मारे गए बेगुनाह लोगों के अपराधियों को मुख्य रूप से कांग्रेस सरकार की कमजोर पैरवी के चलते वीभत्स कृत्य करने वाले अपराधियों को छोड़ने पर भाजपा द्वारा जयपुर शहर के रामलीला मैदान में बम ब्लास्ट में मारे गए बेगुनाहों के परिजन और भाजपा के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ धरना दिया।

साथ ही सांगानेरी गेट से हनुमान मंदिर तक मशाल जुलूस व कैंडल मार्च निकाला गया। मंच के माध्यम से पीड़ित परिवार की महिला ने कहा कि ऐसे बड़े अपराध करने वालों को भी बेगुनाह मान छोड़ दिया जाए तो इससे ज्यादा दुख का विषय नहीं हो सकता।

रामलीला मैदान में हुए इस सामूहिक पीड़ितों द्वारा अपनी वेदना में साधु संत भी मौजूद रहे। एक संत ने कहा कि इस पीड़ा को पैरवी करने वाली कांग्रेस सरकार को महसूस करना चाहिए साथ ही संपूर्ण साधु-संत परिवार पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है।

प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कार्यक्रम में पहुंचे पीड़ितों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर अपने उद्बोधन में संत समाज को प्रणाम करते हुए पीड़ितों के दुख में संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि दुर्भाग्य है कि जिस प्रकार की चित्कार गुलाबी नगरी में उठी थी गुलाबी नगरी लाल हो गई थी, जहां 71 लोगों की जान चली गई। साथ ही 185 लोग घायल हुए थे, खून का तांडव जयपुर की जनता देख रही थी बेगुनाहों के मांस के लोथड़े पड़े हुए थे, जहां एक और सेशन कोर्ट में अपराधियों के खिलाफ 28 लोगों के बयान होते हैं और इन अपराधियों को फांसी की सजा होती है लेकिन आज यह 28 बयान देने वाले लोग कहां चले गए और साथ ही कांग्रेस के कुशासन में कमजोर पैरवी के चलते आज इन बेगुनाहों के हत्यारों को छोड़ दिया गया।

प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा एक ओर जहां कांग्रेस सरकार आतंकवादियों के लिए बड़े-बड़े वकील खड़े कर सकती है तो जयपुर के भी बम ब्लास्ट के अपराधियों के लिए अच्छे वकील क्यों नहीं खड़े कर सकी। इस फैसले से समझ आता है की कांग्रेस सरकार निश्चित रूप से हिंदू विरोधी सरकार है कभी रामनवमी पर रोक लगाती है, तो कभी कन्हैया जैसे व्यक्तियों को बचा पाने में असफल। जनता के साथ भाजपा का परिवार हमेशा इन बेगुनाह लोगों के साथ खडा है।

नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा यह मंच कोई राजनीतिक मंच नहीं इतने सारे लोगों की वेदना प्रकट करने वाला मंच है जिसमें पीड़ितों के माध्यम से बहरी कांग्रेस सरकार को सुनाना ही पड़ेगा, उस बहन की पीड़ा मां की कृंदन, उस पिता की पीड़ा को यदि कांग्रेस सरकार समझती तो आज कमजोर पैरवी के चलते इन गुनाहगारो को बाइज्जत बरी नहीं कर बल्कि निश्चित रूप से फांसी के तख्ते पर ही पहुंचाती।

पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा उस रात को बम ब्लास्ट हुआ था एसएमएस अस्पताल के बाहर लोगों की खून देने के लिए कतार लग गई थी, लेकिन आज उसी के विपरीत उन्हें गुनहगारों को जिन्होंने उन बेगुनाहों का खून लिया था उनको छोड़ना बहुत ही दुख का विषय है।

सरकार की कमजोर पैरवी के विरोध में भाजपा ने पीड़ित परिवारों के साथ रामलीला मैदान से सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर तक कैंडल मार्च निकाला।

अधिवक्ता संरक्षण विधेयक राष्ट्रपति को भेजा

जयपुर। राज्यपाल कलराज मिश्र ने बुधवार को राज्य विधानसभा द्वारा पंद्रहवी राजस्थान विधानसभा के अष्टम सत्र में 21 मार्च को पारित "राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023" को केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों के संशोधन से संबंधित होने के कारण राष्ट्रपति को विचारार्थ भेजा है। राज्यपाल मिश्र ने बताया कि चूंकि विधानसभा द्वारा पारित इस विधेयक पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के उपबंध लागू होते हैं, इसलिए इसे राष्ट्रपति को विचारार्थ प्रेषित किया गया है।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ब्रजमोहन मोदी की डोलोमाइट एवं मेसेनरी स्टोन खनन परियोजना एम.एल.नं. 37/1981(10/01 पुराना) नि. ग्रा. अजीतपुरा, तह. कोटपूतली, जिला जयपुर, एरिया 24.80 हेक्टेयर, क्षमता 810890 टीपीए (ROM) की पर्यावरणीय स्वीकृती SEIAA, Rajasthan द्वारा पत्र क्रमांक F1(4)/ SEIAA/ SEAC-Raj/ Sectt/ Project/ Cat.B1(22275)/2021-22 Jaipur दिनांक 10.04.2023, EC Identification no. EC23B001RJ168092, FILE NO.-17903 को जारी हुई है। स्वीकृती की प्रतिलिपि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के कार्यालय व वेबसाईट व https://www.environment.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम अभिमन्यु सिंह से बदलकर अभिमन्यु सिंह जाखड़ पुत्र राजेन्द्र सिंह जाखड़ रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे निवासी-175, AWHO कॉलोनी, खण्डेलवाल टावर्स के पास, अम्बाबाडी, जयपुर

मैं सरोज कंवरपति श्री JC No. 469076Y ओनी कैप्टन कैलाश सिंह शेखावत, मु.पो. टसकोला, तह. पावटा, जिला-जयपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरा नाम मेरे पति कैलाश सिंह शेखावत के ऑफिसियल दस्तावेजात में कुमारी सरोज कंवर दर्ज है। जबकि मेरा वास्तविक नाम सरोज कंवर है। मेरी जन्म तारीख 05 नवम्बर 1965 है। ये दोनों नाम मेरे ही है। आगे से मुझे सरोज कंवर नाम से जाना जाए।

मेरे आर्मी रिकार्ड में मेरी पत्नी का नाम सुशील देवी (Sushil Devi) गलत दर्ज है। मेरे पत्नी का सही नाम सुशील चौहान (Sushil Chauhan) है। JC no. 343369X Sub प्रदीप कुमार, गांव-वसुन्डा, पोस्ट-खण्डेवला, जिला-गुडगांवा, स्टेट-हरियाणा-122504

I Ruvee Pal W/o Army No 15692680M Hav Rakesh Kumar Pal R/o Vill. Chandel Cold store Dist Mainpuri UP 205001 have changed my name from Rubee Pal to Ruvee Pal (DOB 15-07-1988) for all future purpose.

आम सूचना मेरे अभिभाष्यगण (1) अर्चना मुंदडा (2) श्री मनोज कुमार निवासीगण-सुमेरपुर, पाली व (3) मयंक सारडा, निवासी गंगा शहर जिला बीकानेर की ओर से उनके निर्देशानुसार जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि मकान नम्बर 51-ए, भगत वाटिका द्वितीय, सिविल लाईन, जयपुर को क्रय करने का इकरारनामा मेरे अभिभाष्यगण द्वारा श्री रमाकान्त शर्मा, विष्णुकान्त शर्मा व मनोज कुमार शर्मा से दिनांक 18.06.2022 ईस्वी को किया हुआ है। उक्त इकरारनामा वर्तमान में अस्तित्व में है इसलिए उक्त मकान नम्बर 51-ए, के सम्बन्ध में कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था कोई संव्यवहार अथवा करार नहीं करें।
(अब्दुल समद) एडवोकेट, मो. 9829785786

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा अभिभाष्य मेहराज कुरैशी पुत्र मांग्या कुरैशी, निवासी-प्लॉट नम्बर-97, कुरैशी कॉलोनी, चांदपोल बाजार, जयपुर का रहने वाला है, जिनका पुत्र शोएब कुरैशी व पुत्रवधु श्रीमती अफसाना, हाल किरायेदार-बंधा बस्ती, नाहरी का नाका, शास्त्री नगर, जयपुर मेरे अभिभाष्य के कहे में नहीं है और परिवार के खिलाफ अनुचित गतिविधियों में लिप्त हैं। इस कारण मेरा अभिभाष्य अपने पुत्र व पुत्रवधु को अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल करता है, आज के पश्चात मेरे अभिभाष्य के पुत्र व पुत्रवधु से मेरे अभिभाष्य व उसके परिवार का कोई संबंध नहीं है एवं सम्पत्ति में उनका कोई हक व अधिकार नहीं होगा और जो कोई इस दम्पत्ति से किसी प्रकार का संव्यवहार व लेन-देन करेगा वो अपनी स्वयं की जिम्मेदारी पर करेगा।
जयपुर (फारूक अली) एडवोकेट
दिनांक-04.04.2023 मो.9950570608

खोया पाया

मेरा प्लाट नम्बर 71, खण्डेलवाल नगर-सी, आगरा रोड, जयपुर के सोसायटी का आवंटन पत्र, रसीद, साईड प्लान व जेडीए में नाम दर्ज पत्र इत्यादि कागजात गुम हो गये है। कागजात मिलने पर सूचित करें। श्रीमती कान्ता देवी शाह मो.9829050791

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय राजस्थान आवासन मण्डल
अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id : dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in, Phone No. 0141-2782772
क्रमांक : DHC-II/55 दिनांक : 12-04-2023
जाहिर आम सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या- 94/212, मानसरोवर, जयपुर, क्षेत्रफल 252.00 वर्ग मीटर/वर्ग गज का आवंटन श्री धर्मवीर चौपड़ा पुत्र श्री सेवाराम चौपड़ा को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 4793 दिनांक 26.03.1991 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 01.08.1991 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 720 दिनांक 20.05.2005 के द्वारा श्री धर्मवीर चौपड़ा पुत्र श्री सेवाराम चौपड़ा के नाम अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। तत्पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 882 दिनांक 02.06.2008 के द्वारा श्री धर्मवीर चौपड़ा एवं श्री अनिल चौपड़ा का संयुक्त नाम दर्ज कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 19.09.2013 को करवाया गया। इसके पश्चात श्री धर्मवीर चौपड़ा की मृत्यु दिनांक 31.08.2017 को हो जाने के कारण इनके पुत्र श्री अनिल चौपड़ा पुत्र स्व. श्री धर्मवीर चौपड़ा ने 1/2 अविभाजित हिस्से का मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं पंजीकृत हकत्याग प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक- श्री अनिल चौपड़ा पुत्र स्व. श्री धर्मवीर चौपड़ा के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है। सम्पदा प्रबंधक- वृत्त द्वितीय, जयपुर

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in. Phone No. 0141-2782772
क्रमांक-DHC-II/1201 दिनांक-14.08.19
जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 81/ए-402, मानसरोवर जयपुर क्षेत्रफल 41.060 वर्गमीटर/वर्गगज का आवंटन श्री हरीशंकर शर्मा पुत्र श्री जानकी लाल शर्मा को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 3487 दिनांक 21.08.2018 को जारी किया गया। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 897 दिनांक 10.07.2019 के द्वारा श्री हरीशंकर शर्मा की मृत्यु दिनांक 09.02.2017 को हो जाने कारण इनके पुत्र श्री सुरेश कुमार शर्मा पुत्र स्व.श्री हरिशंकर शर्मा ने रिफण्ड एवं मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं पंजीकृत हकत्याग प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। श्री सुरेश कुमार शर्मा पुत्र स्व.श्री हरिशंकर शर्मा के द्वारा मण्डल अभिलेख में उक्त आवास का मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण एवं रिफण्ड अपने पक्ष में करने का निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्री सुरेश कुमार शर्मा पुत्र स्व.हरिशंकर शर्मा के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in. Phone No. 0141-2782772
क्रमांक-DHC-II/61 दिनांक-12.04.23
जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा निरस्त वाणिज्यिक भूखण्ड संख्या एफ-11 मानसरोवर जयपुर क्षेत्रफल 21.06 वर्गमीटर/वर्गगज का आवंटन श्री घासी लाल शर्मा पुत्र स्व. सूरज मल शर्मा निवासी 3-छ-16 जवाहर नगर, जयपुर को को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 3890 दिनांक 23.09.2000 को जारी किया गया। तत्पश्चात इस भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर रिफण्ड की कार्यवाही मण्डल द्वारा करी गई थी इसके पश्चात श्री घासी लाल शर्मा की मृत्यु दिनांक 18.10.2014 को हो जाने के कारण इनके पुत्र श्री आलोक शर्मा पुत्र स्व. श्री घासी लाल शर्मा हाल निवासी हाल निवासी बी-21 सेठी कॉलोनी जयपुर ने मृत्यु पश्चात रिफण्ड राशि से संबंधित प्रपत्र एवं वसीयतनामा प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त निरस्त भूखण्ड की राशि को अपने नाम से प्राप्त करने हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त भूखण्ड की जमा राशि को अपने स्वयं के नाम से मण्डल द्वारा प्राप्त करने हेतु किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्री आलोक शर्मा पुत्र स्व. श्री घासी लाल शर्मा के पक्ष में उक्त निरस्त भूखण्ड बकाया राशि की रिफण्ड की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in. Phone No. 0141-2782772
क्रमांक-DHC-II/67 दिनांक-12.04.203
जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 91/59 मानसरोवर जयपुर क्षेत्रफल 162.00 वर्गमीटर/वर्गगज का आवंटन श्री श्रीचन्द पुत्र श्री चेतन दास को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 3984 दिनांक 10.12.1989 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 25.06.1990 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 541 दिनांक 11.07.2003 के द्वारा श्री श्रीचन्द पुत्र श्री चेतन दास के नाम अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 5.08.2003 को करवाया गया। श्री श्रीचन्द द्वारा आवास का बेचान जरिये विक्रय पत्र के श्रीमती पुष्पा गुप्ता पत्नी श्री शिव कुमार गोयल को कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के विक्रय प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयन जयपुर में दिनांक 01.09.2003 को करवाया गया। इसके पश्चात श्रीमती पुष्पा गुप्ता की मृत्यु दिनांक 30.06.2020 को हो जाने के कारण इनके पुत्र श्री गौरव गोयल पुत्र स्व. श्री शिव कुमार गोयल ने मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं पंजीकृत हकत्याग प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्री गौरव गोयल पुत्र स्व. श्री शिव कुमार गोयल के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in. Phone No. 0141-2782772
क्रमांक-DHC-II/59 दिनांक-12.04.2023
जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 62/239 मानसरोवर जयपुर क्षेत्रफल 30.75 वर्गमीटर/वर्गगज का आवंटन श्री मोती लाल पुत्र श्री मेघूमल को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 7660 दिनांक 04.01.1989 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 01.03.1989 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 1550 दिनांक 11.07.2007 के द्वारा श्रीमती शान्ति देवी पत्नी श्री वासुदेव लखवानी के नाम नियमितिकरण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 29.07.2013 को करवाया गया। इसके पश्चात श्रीमती शान्ति देवी की मृत्यु दिनांक 30.01.2023 को हो जाने के कारण इनके पुत्र श्री राकेश कुमार लखवानी पुत्र श्री वासुदेव लखवानी ने मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं पंजीकृत हकत्याग प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्री राकेश कुमार लखवानी पुत्र श्री वासुदेव लखवानी के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

कार्यालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)
No.:F-2(01)Acct/Contract/2023-24/10-12 Date: 10-04-2023
ई-निविदा सूचना संख्या : 03/2023-24
नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा निम्नलिखित कार्यो मय डिफेक्ट लाईबिलिटी अवधि के लिये जो कि निविदा प्रपत्र में अंकित है के लिये उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई-टेण्डरिंग के माध्यम से ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा कार्यो की कुल लागत	:	रूपये 100.79 लाख (06 कार्य)
ऑनलाईन निविदा प्रपत्र डाउनलोड/अपलोड करने की अवधि	:	13-04-2023 को प्रातः 10.00 बजे से 24-04-2023 को सांय : 6.00 बजे तक
Online EMD Tender Fee & Processing Fee जमा कराने की तिथी	:	13-04-2023 को प्रातः 10.00 बजे से 24-04-2023 को सांय : 6.00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा खोलने की तिथी	:	25-04-2023 को प्रातः 11.00 बजे

विस्तृत विवरण वेबसाईट urban.rajasthan.gov.in/uitudaipur, www.eproc.rajasthan.gov.in व www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।
UBN: ITU2324WSOB00027, ITU2324WSOB00028, ITU2324WSOB00029, ITU2324WSOB00030, ITU2324WSOB00031, ITU2324WSOB00032
अधिशाषी अभियंता- विद्युत नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर